न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 03 / 2017

साधुराम पुत्र स्व0 मघाराम उम्र 73 साल जाति नायक निवासी मलसीसर, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. शीशपाल पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 22, मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

— रेसपोंडेंट

प्रथम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2016 तहसीलदार मलसीसर
उनवानी प्रकरण साधुराम बनाम शीशपाल, मु0नं0 01 / 2015
अं0धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री सुलतान बाकोलिया एडवोकेट ———— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री मोहम्मद रफीक खान, एडवोकेट ——— रेस्पोंडेंटस नंबर—1 की ओर से ।
3. श्री श्रवण कुमार,राजकीय अभिभाषक ——— रेस्पोंडेंटस नंबर—2 की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 29.07.2019

उक्त उनवानी अपील निर्णय दिनांक 20.12.2016 तहसीलदार मलसीसर उनवानी प्रकरण साधुराम बनाम शीशपाल मु0 नं0 01 / 2015 अं0धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अपीलांट की कृषि भूमि ग्राम मलसीसर में स्थित है जिसके हाल खसरा नंबर 1237 / 140 रकबा 0.8900 हैक्टर भूमि है। जिसमें से 418 वर्ग मीटर भूमि रेस्पोडेंट नंबर 1 की पत्नी श्रीमती मेनका देवी को रूपान्तरण करवाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय की गई

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

है। 705 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण कर रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद राय मीणा निवासी मलसीसर को विक्रय की गई है तथा 0.1891 वर्ग मीटर भूमि का विकय रामरतन पुत्र सांवलाराम जाति मेघवाल निवासी मलसीसर को विक्रया किया गया है तथा 0.3205 वर्गमीटर भूमि का अपीलांट ने रूपान्तरण करवाया है। शेष भूमि 0.2681 वर्ग मीटर खातेदारी की भूमि अपीलांट के खातेदारी काश्त की भूमि है। इस प्रकार उक्त सभी बातों की अनदेखी कर गलत व मनगड़न्त निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने अपनी पत्नी के नाम से 418 वर्गमीटर भूमि की आड़ में 1/2 बीघा कच्ची भूमि पर 418 वर्ग मीटर भूमि के अलावा अपीलांट की 0.2681 वर्गमीटर भूमि में से अतिक्रमण कर लिया है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने भी अतिक्रमण की रिपोर्ट पहले पेश की थी। इसके प्श्चात रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 से मिलि भगत कर दूबारा पटवारी रिपोर्ट मंगवाई गई है जिसमें मात्र 416 वर्गमीटर भूमि पर ही कब्जा बताया है। इसी आधार पर ही वकील अपीलांट को बिना सुने ही अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट नंबर 1 का ना ही कोई जवाब लिया गया है ना ही वकील अपीलांट की अदालत मातहत ने कोई बहस सुनी ना ही वकील अपीलांट द्वारा पेश किये गये कानून व नजीरों का हवाला दिया गया है ताकि वकील अपीलांट को दिनांक 27.12.2016 तारीख पेशी नियत की गई थी तथा अदालत मातहत ने दिनांक 201.2.2016 को ही निर्णय पारित कर दिया था, इसलिए भी अदालत मातहत का निर्णय काबिले खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण की गई भूमि का कोई नाप व क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट नंबर 1 की पत्नी मैनका देवी की भूमि 418 वर्ग मीटर भूमि का हवाला देकर अदालत मातहत ने गलत निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। अपीलांट की 0.2681 वर्गमीटर भूमि खातेदारी काश्त की भूमि है जिसमें से रेस्पोडेंट नंबर 1 की पत्नी मैनका देवी की भूमि 418 वर्ग मीटर भूमि का हवाला देकर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर बहस दिनांक 20.12.2016 को खारिज किया जावे।

48

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– अपीलांट की हाल खसरा नंबर 1237/140 रकबा 0.8900 हैक्टर कृषि भूमि मलसीसर में स्थित है। जिसमें से 418 वर्ग मीटर भूमि रेस्पोडेंट नंबर 1 की पत्नी श्रीमती मेनका देवी को रूपान्तरण करवाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय की गई है। 705 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण कर रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद राय मीणा निवासी मलसीसर को विक्रय की गई है तथा 0.1891 वर्ग मीटर भूमि का विकय रामरतन पुत्र सांवलाराम जाति मेघवाल निवासी मलसीसर को विक्रया किया गया है तथा 0.3205 वर्गमीटर भूमि का अपीलांट ने रूपान्तरण करवाया है। शेष भूमि 0.2681 वर्ग मीटर खातेदारी की भूमि अपीलांट के खातेदारी काश्त की भूमि है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने अपनी पत्नी के नाम से 418 वर्गमीटर भूमि की आड़ में 1/2 बीघा कच्ची भूमि पर 418 वर्ग मीटर भूमि के अलावा अपीलांट की 0.2681 वर्गमीटर भूमि में से अतिक्रमण कर लिया है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने भी अतिक्रमण की रिपोर्ट पहले पेश की थी। इसके प्श्चात रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 से मिलि भगत कर दूबारा पटवारी रिपोर्ट मंगवाई गई है जिसमें मात्र 416 वर्गमीटर भूमि पर ही कब्जा बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट नंबर 1 का ना ही कोई जवाब लिया गया है ना ही वकील अपीलांट की अदालत मातहत ने कोई बहस सुनी ना ही वकील अपीलांट द्वारा पेश किये गये कानून व नजीरों का हवाला दिया गया है ताकि वकील अपीलांट को दिनांक 27.12.2016 तारीख पेशी नियत की गई थी तथा अदालत मातहत ने दिनांक 201.2.2016 को ही निर्णय पारित कर दिया था, इसलिए भी अदालत मातहत का निर्णय काबिले खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण की गई भूमि का कोई नाप व क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट नंबर 1 की पत्नी मैनका देवी की भूमि 418 वर्ग मीटर भूमि का हवाला देकर अदालत मातहत ने गलत निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। अपीलांट की 0.2681 वर्गमीटर भूमि

खातेदारी काश्त की भूमि है जिसमें से रेस्पोडेंट नंबर 1 की पत्नी मैनका देवी की भूमि 418 वर्ग मीटर भूमि का हवाला देकर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर बहस दिनांक 20.12.2016 को खारिज किया जावे तथा अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2000 पेज 388 एवं आर.आर.टी 2017 (1) पेज 186 प्रस्तुत किये गये।

दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नंबर 1237/140 में कोई अतिक्रमण नहीं है। मौके पर कोई कृषि भूमि नहीं है। तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2016 में मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दो लाईन लिखकर अपीलांट /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया गया है। हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट भी भिन्न–भिन्न हैं। प्रार्थी/अपीलांट की शेष 0.2681 वर्ग मीटर खातेदारी भूमि के संबंध में निर्णय दिनांक 20.12.2016 में कोई उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त भूमि पर किस व्यक्ति का किस आधार पर कब्जा है। तहसीलदार मलसीसर द्वारा अपने निर्णय में दो लाईन लिखकर प्रार्थना पत्र खारिज कर इतिश्री की गई है। पारित निर्णय स्पीकींग नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 20.12.2016 उनवानी साधुराम बनाम शीशपाल मु0 नं0 01/2015 अं0धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के

५४

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रकिया के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू